

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।

पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के

कारण इसका हिसाब पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक 22/5/20 पेश हो।

7/5/25
22/5/25 पत्रावली पेश हुई। वायी/प्रार्थी अधिवक्ता अनु/प्रार्थी अधिवक्ता व्यामालम समय में लंबे समय से अनुपस्थित रह रहे हैं। प्रार्थी अधिवक्ता व्यामालम आदेशिका की पालना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी का व्यामालम समय में एककर-2 तीन बार आवाज लगाई गई फिर भी प्रार्थी उपस्थित नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर माखिल

कमतर हो।

